<u>न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर</u>

अपील राजस्व/30/2017

1 मानसिंह पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी ग्राम हथैनी तहसील व जिला भरतपुर

.......अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

2 नायब तहसीलदार भरतपुर

........रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 24.08.2017 न्यायालय नायब तहसीलदार भरतपुर व मुकदमा उनवानी सरकार बनाम मानसिंह अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट मुकदमा नं 5/17 न्यायालय नायब तहसीलदार भरतपुर।

उपस्थित –

1– श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक अपीलांट

2– श्री राजेश पचौरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

सत्यमेव जयते

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 26.03.2019</u>

Web Copy - Not Official

अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार भरतपुर के आदेश दिनांक 24.08.2017 के खिलाफ पेश हुई है। अपीलाधीन आदेश में नायब तहसीलदार भरतपुर ने खसरा न. 582/1.92 गैर मुमकिन पोखर बाके ग्राम हथैनी में 0.01 हैक्ट के पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इसके आधार पर अपीलांट के विरूद्य अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने एवं पेन्लटी कायम की जाने की आज्ञा दी गयी है। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। नायब तहसीलदार भरतपुर से तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक ने अपील अंकित कथनों को दोहराते हुए बताया है कि अपीलांट के हाल खसरा न. 582/1.92 गैर मुमकिन पोखर बाके ग्राम हथैनी में 0.01 हैक्ट गैर मुमकिन पोखर है। पक्का सी.सी. रोड है। अपीलांट के खसरा नम्बर 580/0.12 बांके ग्राम हथैनी भरतपुर साविक खसरा नं 467 रकवा एक बीघा एक विस्वा कुल 17 एयर से बन्धोवस्त विभाग ने निर्मित किया है। जो कि साविक के मुताबिक वर्तमान में 17–12–5 एयर कम है।

जो कि केवल मात्र रिकार्ड में गलत है। मोके पर कब्जा आज भी अपीलांट का सम्पूर्ण एयर पर काबिज है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि खसरा न. 582/1.92 गैर मुमकिन पोखर बाके ग्राम हथैनी में 0.01 हैक्ट की पैमाइश कराई गई वतर्मान रिकार्ड मेरे रकवा पर अतिक्रमण दिखा दिया गया है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर कोर्ट में कार्यवाही की । श्री मान जिला कलक्टर को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मेरी जमीन 5 ऐयर कम है। रकवा 17 एयर करने के की कृपा करें। योग्य रेस्पो की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक पक्ष का तर्क है कि तहत न्यायालय में मनमर्जी के आधार पर आदेश पारित किया है। जो खारिज योग्य है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । आराजी खसरा नं 582/1.92 राजस्व रिकोर्ड में गैर मुमकिन पोखर बाके ग्राम हथैनी खसरा नं0 580 तथा अतिक्रमी की खातेदारी खसरा नं0 580 से चिपटमा 582 है। गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। जिस पर रेस्पो का अतिक्रमण पटवारी हल्का की रिपोर्ट आधार स्पष्ट प्रमाणित है साथ ही श्री मान एडीजे साहब संख्या 1भरतपुर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 1.06.2017 में यह स्पष्ट आदेश दिये हैं कि आराजी खसरा नं 582 गैर मुमकिन पोखर व चारागाह पर यदि कोई अतिक्रमण है तो तहसीलदार व पटवारी विधि अनुसार कार्यवाही कर उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसमें विपरीत अपीलांट की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया । जिसमें उक्त अपील अधीनस्थ में विधि सम्मत न माना जा सके कि यह लिहाजा अपील अधीनस्थ आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अपील अपीलांट खरिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति एवं तहत न्यायालय की पत्रावली नायब तहसीलदार भरतपुर को भेजी जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 26.03.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ आरूषि मलिक)
जिलाकलक्टर,
भरतपुर